झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1024 वर्ष 2017

अरविंद चन्द्र प्र0 उर्फ अरविंद चन्द्र, पे0 कृष्ण चन्द्र प्रसाद, निवासी–फ्लैट सं0 99/100, रामायण इन्क्लेव, रिम्स बाईपास रोड, गिटिल कोचा, डाकघर एवं थाना–कोकर, जिला–रांची–834001 .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. जिला प्रमाण पत्र अधिकारी, द्वारा श्रीमती एनी रिंकू कुजूर, जिला कलेक्ट्रेट, रांची, थाना–कोतवाली, डाकघर और जिला–रांची, 834001
3. भारतीय स्टेट बैंक, हिनू शाखा, जिसका प्रतिनिधित्व शाखा प्रबंधक, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची, 834002 किया है।
4. प्रभारी अधिकारी, डोरण्डा पुलिस स्टेशन, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची, 834002

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री राजेन्द्र राम रविदास, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

श्री मनीन्द्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

04/8 फरवरी, 2019

28 जनवरी, 2019 के आदेश का संदर्भ दिया जा सकता है जिसके द्वारा और जिसके अधीन यह न्यायालय याचिकाकर्ता और राज्य प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुनने के बाद जिसमें यह तर्क दिया गया है कि नोटिस को तामीला मानने के आधार पर बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 10 के तहत एक आदेश पारित करके डिसट्रेस वारंट जारी किया गया है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद मामले को स्थगित कर दिया है क्योंकि उस तारीख को बैंक का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को भारतीय स्टेट बैंक के विद्वान वकील को रिट याचिका की एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था, जिसके आधार पर उसे उसकी एक प्रति दी गई है और बैंक का प्रतिनिधित्व श्री राजेश कुमार द्वारा किया गया है।

बैंक के विद्वान वकील ने राज्य प्रत्यर्थी की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि नोटिस की मान्य तामीला के आधार पर, बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 की धारा 10 के तहत निर्णय लेकर प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें नोटिस की तामीला के वैकल्पिक तरीके अर्थात पेपर पब्लिकेशन का सहारा नहीं लिया गया।

याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले उसे अपने बचाव में अपनी आपत्ति दर्ज करने के अवसर प्रदान की जाए, जिस पर बैंक के विद्वान वकील ने आपत्ति नहीं की है।

इस बात को और रिट याचिका में किए गए अभिवचन को ध्यान में रखते हुए कि याची पर नोटिस की तामील को वैध माना गया है क्योंकि नोटिस का रिक्विजिट्स वापस नहीं लौटे हैं।

यह भी स्पष्ट है कि नोटिस की तामील का कोई वैकल्पिक तरीका अर्थात कागजी प्रकाशन का तरीका नहीं अपनाया गया है क्योंकि कार्यवाही कंपाउंडिंग की प्रकृति की है और देनदार द्वारा देयता स्वीकार करने की संभावना है, इसलिए, याची को एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है, इसलिए, मामला प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया जाता है।

याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसरण में आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

प्रमाणपत्र अधिकारी इस तरह की आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेगा और उसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

अंतिम आदेश पारित होने तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश प्राधिकरण द्वारा उसमें ऊपर निर्धारित समय के भीतर पारित किया जाना है और याचिकाकर्ता को कार्यवाही के साथ सहयोग करना है, असहयोग करने के मामले में, प्रमाण पत्र अधिकारी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)